



दूरभाष 0522-2288656

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(हाइड्रिल)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : UP32201UP1999SGC024928



E Mail-ce.hydel@uppcl.org

संख्या-1253 अ-7/तकनीशियन(विद्युत)/सीधी भर्ती/2024

दि०: 19.12.2024

कार्यालय ज्ञाप

सचिव, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-10/विसेआ/2022/ तकनीशियन (विद्युत) के अन्तर्गत चयनोपरान्त उपलब्ध कराए गए तकनीशियन (विद्युत) अभ्यर्थी को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की विभिन्न सहयोगी वितरण निगमों एवं उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष दि० 01.01.2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स लेवल-4, रू० 27200 (न्यूनतम स्तर) एवं अन्य भत्ते निगम में लागू नियमानुसार तथा वर्णित सेवा शर्तों एवं अन्य प्रतिबंधों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति हेतु निम्नानुसार निगम आवंटित किया जाता है:-

S No	Roll No	Candidate Name	Father's Name	Selected As Category	Allotted Company
1	2	3	4	5	6
1.	41181240103	Shivam Pandey	Bindeshwari Pandey	EWS	UPPTCL

उक्त चयनित अभ्यर्थी आवंटन के उपरांत योगदान ग्रहण करने की तिथि से तकनीशियन (विद्युत) के पद पर आवंटित निगम के आमेलित कार्मिक माने जायेंगे एवं उनका स्थानांतरण आवंटित निगम के कार्य क्षेत्र में कही भी किया जा सकेगा।

- उपरोक्त अभ्यर्थी तकनीशियन (विद्युत) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु प्रबंध निदेशक द्वारा अपने स्तर से किसी खण्ड को आवश्यकतानुसार आवंटित किया जाएगा।
- प्रशिक्षण:-** उपरोक्तानुसार नियुक्ति के पश्चात् क्लासरूम प्रशिक्षण निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिया जायेगा जिसकी सूचना निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ द्वारा सीधे तकनीशियन (विद्युत) के तैनाती निगम से सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को दी जायेगी।

उ०प्र०पा०का०लि० के आदेश सं० 689-काविनी एवं विनियम/पाकालि/2018-13-विनियम/2018 दिनांक 17.12.2018 के अनुपालन में नवनियुक्त तकनीशियन (विद्युत) अभ्यर्थी को कारपोरेशन में प्रथमतः 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसमें से 01 माह का क्लासरूम अभिविन्यास प्रशिक्षण विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ तथा 11 माह का ऑन जॉब प्रशिक्षण उनके तैनाती कार्यालयों में प्रदान किया जायेगा। तकनीशियन (विद्युत) से यह अपेक्षा होगी कि वह गंभीरता एवं उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

तकनीशियन (विद्युत) का प्रशिक्षण के उपरान्त नियमितीकरण उनके द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के मूल्यांकन के परिणाम पर निर्भर करेगा। मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षणोपरांत एवं 100 अंक की परीक्षा आयोजन विद्युत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक तकनीशियन (विद्युत) को प्रतिभाग लेना अनिवार्य होगा, उक्त नियमितीकरण परीक्षा के दो भाग होंगे:-

भाग-ए: जिसमें प्रशिक्षु द्वारा लिये गये क्लासरूम प्रशिक्षण का मूल्यांकन होगा। यह भाग 50 अंक का होगा।

भाग-बी: जिसमें प्रशिक्षु द्वारा लिये गये ऑन जॉब प्रशिक्षण का मूल्यांकन होगा। यह भाग भी 50 अंक का होगा।

प्रत्येक भाग में प्रशिक्षु को न्यूनतम 25 अंक और भाग-ए एवं भाग-बी को मिलाकर समग्रता में 100 अंक में से 60 अंक का अर्जन, उत्तीर्ण होने हेतु अनिवार्य होगा, तभी उनका प्रशिक्षण समाप्त कर नियमितीकरण का आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षणोपरांत ली गयी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षु का प्रशिक्षण काल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिसके उपरांत पुनः नियमितीकरण हेतु इसी प्रकार की प्रक्रिया दोहरायी जाएगी। पुनः अनुत्तीर्ण होने पर आगे प्रशिक्षण अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी और ऐसे तकनीशियन (विद्युत) की नियुक्ति, उसको अनुपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत समाप्त कर दी जायेगी।

3. नियुक्त किये गये तकनीशियन (विद्युत) की सेवाएं 'परिचालकीय कर्मचारी सेवा विनियमावली 1995 (यथा संशोधित)' के अन्तर्गत होगी एवं इन पर इस सेवा विनियमावली के समस्त प्राविधान एवं शर्तें लागू होंगी।
4. विभिन्न सहयोगी वितरण निगमों एवं उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० को आवंटित तकनीशियन (विद्युत) की वरिष्ठता (Seniority) उनके तैनाती निगम के सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक द्वारा विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली मेरिट लिस्ट एवं वरिष्ठता संबंधित विनियमावली के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
5. सचिव, विद्युत सेवा आयोग के पत्रांक 787/विसेआ/10-विसेआ-2022 तकनीशियन (विद्युत) दि० 02.12.2024 के अनुपालन में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व नियुक्ति अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि :-

(क) आवेदन पत्र पर लगी फोटो, हस्ताक्षर, प्रवेश पत्र पर लगे फोटो, हस्ताक्षर आदि आपस में मेल खाते हैं।

(ख) संगत सेवा विनियम में निहित प्राविधानों का अनुपालन तथा अभ्यर्थी के अभिलेखों की मूल प्रमाण पत्रों से जाँच अपने स्तर पर कराना समीचीन होगा।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्रों की सम्बन्धित संस्था से प्रमाणिकता की जांच नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शैक्षिक एवं अर्हता सम्बन्धी अथवा अन्य कोई सूचना/अभिलेख किसी भी स्तर पर गलत/असत्य/अपूर्ण पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी स्तर पर अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला कभी भी प्रकाश में आता है, तो उसका चयन / नियुक्ति निरस्त कर उपयुक्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या- -अ-7/ तद् दिनांक/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उन्हें आवंटित अभ्यर्थियों की विद्युत सेवा आयोग से प्राप्त समस्त अभिलेखों सहित मूल पत्रावली (फोल्डर) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन खण्डों के अधिशासी अभियन्ता को उनके खण्डों में तकनीशियन (विद्युत) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध उपरोक्तानुसार एवं संलग्न प्रारूप की अनुरूपता में उक्त प्रस्तर-05 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नियुक्ति पत्र यथाशीघ्र निर्गत करवाने का कष्ट करें:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को 01 अदद मूल पत्रावली(फोल्डर)।

संलग्नक :-

1. नियुक्ति पत्र का प्रारूप।
2. चल-अचल सम्पत्ति का प्रारूप।
3. निष्ठा एवं गोपनीयता का घोषणा पत्र।
4. राजनैतिक दल से सम्बन्ध न रखने का घोषणा पत्र।
5. एक ही जीवित पत्नी/पति को रखने का घोषणा पत्र।

(अम्बुज सिंह गहरवार)
वैयक्तिक सहायक-द्वितीय
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

संख्या-1253-अ-7/ तद दिनांक/ 19/12/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०। (Email Id: md@uppcl.org)
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०। (Email Id: director_p @uppcl.org)
3. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (Email Id: director_eti @uppcl.org)।
4. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०। (Email Id: sectyvsa@ uppcl.org)।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाइल।


(अम्बुज सिंह गहरवार)
वैयक्तिक सहायक-द्वितीय
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)